[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 28/2021 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2021

सा.का.नि.........(अ). -केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ,परिषद् की सिफारिशों पर, और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार के द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का. नि. संख्या 745(अ), तारीख 29 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 89/2020-केंद्रीय कर, तारीख 29 नवंबर, 2020 को, सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 14/ 2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 संख्या सा.का.नि.197(अ), तारीख 21 मार्च , 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए, अधिनियम की धारा 125 के तहत किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय दंड की राशि को 1 दिसंबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021की अवधि के लिए माफ किया जाता है ।

[फ़ा.सं. सीबीईसी 20/16/38/2020-जीएसटी भाग I]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार